रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2014/आषाढ़ 5, 1936
No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2014/ASHADHA 5, 1936

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2014

सं. 324–2/2013–सीए.–भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014
(2014 का 06)

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 कहा जाएगा ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) के विनियम 6 के उप–विनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्: :–

''बशर्ते कि पीठासीन सदस्य, विनियम 8 के खंड (ङ) में संदर्भित सदस्य के परामर्श से, एक आदेश द्वारा उपभोक्ता मामले एवं सेवा गुणवत्ता प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप–सलाहकार तथा वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप–सलाहकार को विनियम 5 के उप–विनियम (4) में संदर्भित खाते में से भुगतान करने के लिए स्वीकृत धनराशि को जारी करने के लिए संयुक्त रूप से चेक में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।''

सुधीर गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./142/14]

टिप्पणी 1 : मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 322/4/2006–क्यूओएस (सीए) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III ,खंड 4 में दिनांक 15 जून, 2007 को प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 2 : मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 322–08/2010–सीए के तहत संशोधित किया गया तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 07 मार्च, 2011 को प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 3: मूल विनियमों को अधिसूचना संख्या 324–02/2013–सीए के तहत संशोधित किया गया तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 4: व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 06) के उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या दी गई है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) अधिसूचित किए थे। विनियमों के निबंधनों के अनुसार, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि" नामक एक निधि सृजित की गई है। निधि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग, एक समिति की सिफारिश के आधार पर दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को जागरूक करने के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए किया जाता है।

2. वर्तमान में, विनियम 5 के उप–विनियम (4) में संदर्भित खातों का प्रचालन पीठासीन सदस्य अर्थात् सचिव, भादूविप्रा तथा विनियम 8 के खंड (ङ) में संदर्भित सदस्य अर्थात् वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग के प्रधान सलाहकार/सलाहकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विनियम में, यह संशोधन उपर्युक्त सदस्यों को अधिकृत करता है कि वे उपभोक्ता मामले एवं सेवा गुणवत्ता प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप–सलाहकार को तथा वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण प्रभाग के संयुक्त सलाहकार या उप–सलाहकार को संयुक्त रूप से खाते के प्रचालन हेतु अनुमति दे सकते हैं ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2014

No. 324-2/2013-CA.—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) namely :—

TELECOMMUNICATION CONSUMERS EDUCATION AND PROTECTION FUND (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 (6 of 2014)

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Third Amendment) Regulations, 2014.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 6 of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007), in sub-regulation (3) the following proviso shall be inserted, namely:—

   "Provided that the presiding member may, in consultation with the member referred to in clause (e) of the Regulation 8, by an order, authorize a Joint Advisor or Deputy Advisor of Consumer Affairs and Quality of Service Division and a Joint Advisor or Deputy Advisor of Finance and Economic Analysis Division to sign jointly the cheque for release of the amount sanctioned for payment from the accounts referred to in sub-regulation (4) of Regulation 5."

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./142/14]

Note 1. The principal regulations were published *vide* Notification No. 322/4/2006-QoS (CA) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 15th June, 2007.

Note 2. The principal regulations were amended *vide* notification No. 322-8/2010-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 7th March, 2011.

Note 3. The principal regulations were amended *vide* notification No. 324-2/2013-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 10th July, 2013.

Note 4. The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Third Amendment) Regulations, 2014 (6 of 2014).

EXPLANATORY MEMORANDUM

Background :

The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) on 15th June, 2007. In terms of the Regulations, a fund called 'Telecommunication Consumers Education and Protection Fund' has been created. The income from the Fund is utilized to undertake programmes for educating consumers of telecommunication services on the recommendation of the Committee for Utilization of Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (CUTCEF).

2. Presently, the accounts referred to in sub-regulation (4) of Regulation 5 are operated, jointly by the presiding member i.e. Secretary, TRAI and the member referred to in clause (e) of Regulation 8 i.e. Principal Advisor/Advisor of the Finance and Economic Analysis Division. This regulation is amended to allow the above members to authorize operation of the accounts by Joint or Deputy Advisor of the Consumer Affairs & Quality of Services Division and Joint or Deputy Advisor of the Finance and Economic Analysis Division.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.